

No: Shiksaha-Shimla(G-1) /2018-Land Transfer-  
O/o the Dy. Director of Higher Education,  
Shimla, District Shimla-171001



Shimla-171001 the,

To,

All the Principals/Headmasters,  
GSSSs/GHSs in Distt. Shimla.

Sub:- बारहवीं विधान सभा के नवम सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दिये गए  
आशवासनों का कार्यान्वयन -आश्वासन संख्या 9/2015।

Memo:

With reference to Directorate of Higher Education HP office letter No.-  
Shiksha-HE-9/2015 dated 18.02.2019 on the subject cited above. **(Copy enclosed)**

On the above noted subject you are hereby informed/directed that submit the  
information of such schools to this office within 05 days on **Proforma-I** where school  
building is constructed on forest land and the land is not transferred to Education Deptt. and  
further heads of such school is directed to take up the matter with forest Deptt./any other  
Deptt. for transfer of land in the name of Education Deptt. immediately under intimation to  
this office and non supplying of information you will be held fully responsible.

Enclosed: As above

*Sd/-*  
Dy. Director Higher Education  
Shimla, District Shimla-01

Endst: No. Even Dated: Shimla-171001

Copy to :-

1. The Director of Higher Education Himachal Pradesh, Shimla-01 for information  
please.
- ✓ 2. Nodal Officer (Internal) with the direction to upload on the website.

*Sharma 23/2/19*  
Dy. Director Higher Education,  
Shimla, District Shimla-01

(6)

संख्या: शिक्षा.उच्च.ई 9/2015  
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर)  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

18 FEB 2019

45  
21-

सेवा में,

दिनांक शिमला-171001

फरवरी, 2019

शिक्षा निदेशक(प्रारम्भिक),  
हिमाचल प्रदेश ।

विषय:-

बाहरवी विधान सभा के नवम सत्र के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा सदन में दिए गये आश्वासनों का कार्यान्वयन- आश्वासन संख्या: 9/2015।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय समसंख्यक पत्र दिनांक 26-11-2016 की ओर आकृष्ट करते हुए निर्देशित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरवी विधान सभा के नवम सत्र के दौरान श्री महेश्वर सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2481 दिनांक 30.11.2015 के क व ख भाग के संदर्भ में माननीय मुख्यमन्त्री ने इस प्रकार सूचित किया कि

“यद्यपि सरकार ने वन भूमि को शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है फिर भी 1 उच्च तथा 3 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के पास जो वन भूमि थी उसे नियमानुसार शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित किया गया है तथा 393 राजकीय प्राथमिक 29 माध्यमिक 34 उच्च तथा 40 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के मामले विचाराधीन है।।”

इस सम्बन्ध में आश्वासन संख्या: 9/2015 की अद्यतन स्थिति/ विभागीय उत्तर इस निदेशालय को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र-1 पर इ-मेल/फैक्स द्वारा उपलब्ध करवाएँ ताकि सूचना सरकार को भेजी जा सके। अतः मामले में प्राथमिकता दें ।

भवदीय,

सं० शिक्षा निदेशक (कों.)  
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन सम संख्यक दिनांक शिमला-171001  
प्रतिलिपि:-

फरवरी, 2019

1. उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर), चम्बा, सिरमौर, कांगड़ा, शिमला, विलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उपरोक्त प्रकार से इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.07.2018 के सन्दर्भ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
2. रक्षक नरित ।

*R. Shastri*  
सं० शिक्षा निदेशक (कों.)  
हिमाचल प्रदेश।

*82 Shastri*  
*All*